



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14599

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 573 सन् 2026

मुजीबुर्रहमान वर्तमान में और 6 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आलोक कुमार श्रीवास्तव, धीरज श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव और राज्य के स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की दलीलें सुनीं।
2. स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने अदालत में बयान दिया है कि वे निर्देशों से भलीभांति परिचित हैं और मामले की पैरवी करने में सक्षम हैं। वह कोई प्रतिवाद दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करता है और याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षों की सहमति से याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।
4. सात याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि दिनांक 09.09.1994 की अधिसूचना के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को उर्दू अनुवादक-सह-जूनियर क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने क्रमशः 24.03.1995, 19.04.1995 और 21.04.1995 को कार्यभार ग्रहण किया था। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि वे 21.02.2007 के शासनादेश के बाद लाभ के हकदार थे और 30.11.2011 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ क्लर्क के पद का पूर्ववर्ती पदनाम समाप्त कर दिया गया था और 15 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर 2800 ग्रेड पे के साथ उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक के रूप **अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में नया पदनाम सृजित किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्हें 16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उर्दू अनुवादक-वरिष्ठ सहायक के पद पर दूसरी पदोन्नति का लाभ भी दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि सोनभद्र के जिला विकास अधिकारी द्वारा 30.12.2025 को पारित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को दिए गए लाभ वापस ले लिए गए हैं।

5. इसी को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चुनौती दी गई याचिका को वैध नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना एकतरफा रूप से पारित की गई है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का मामला नहीं है।

7. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चुनौती दी गई याचिका में यह उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था। उन्होंने निवेदन किया कि चुनौती दी गई याचिका को रद्द कर दिया जाए और मामले को वापस भेज दिया जाए।

8. मैंने बार में दिए गए निवेदनों को सुना और अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

9. स्पष्ट रूप से, प्रत्यर्थी संख्या 4 - जिला विकास अधिकारी, सोनभद्र द्वारा दिनांक 30-12-2025 को पारित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य (1994) 6 एससीसी 154** के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

"3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था, इस पर कोई विवाद नहीं है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 1991 में 18.12.1970 से पूर्वव्यापी रूप से 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से नागरिक परिणामों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कमी के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा उसका वेतन कम करने से पहले उसे नोटिस भी नहीं दिया गया और यह आदेश उसकी पीठ पीछे, कानून के किसी भी ज्ञात प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुने भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि ऐसा कोई आदेश न दिया जाए जिससे किसी कर्मचारी को नागरिक परिणामों का सामना करना पड़े। संबंधित पक्ष को सूचित किए बिना और मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया था। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए दिनांक 25.7.1991 का आदेश (ज्ञापन), जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से मान्य नहीं हो सकता और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज करने में गलती की है। न्यायाधिकरण का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश के साथ-साथ न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दिए गए दिनांक 25.7.1991 के आदेश (ज्ञापन) को भी निरस्त करते हैं, जिसमें अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।"

10. चूंकि चुनौती दिए गए आदेश के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था, इसलिए इस न्यायालय के पास आदेश को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क) प्रत्यर्थी संख्या 4, जिला विकास अधिकारी, सोनभद्र द्वारा दिनांक 30-12-2025 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

(ख) मामले को पुनः आदेश पारित करने हेतु संबंधित प्राधिकारी को वापस भेजा जाए।

12. शीघ्र निपटान हेतु, पक्षकार याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत प्रत्यावेदन संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उक्त कार्यवाही को शीघ्रता से निपटाएगा। इसके बाद प्राधिकारी याचिकाकर्ता को सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए सूचित करेगा और यदि कोई जानकारी आवश्यक हो, तो याचिकाकर्ता आवेदन के माध्यम से उसे प्रस्तुत करेगा तथा आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित किया जाएगा।

13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

21 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।